मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31/10/2022

क्र. एफ 16-46/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एन्डुराफेब प्रा.लि. द्वारा ग्राम चीराखान, तहसील देपालपुर जिला इंदौर में लगभग रूपये 145.95 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से दो चरणों में एचडीपीई/पीपी फेब्रिक्स, पॉन्ड लाईनर्स, एफआईबीसीएस/जम्बो बैग्स निर्माण इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP22844) पर निम्नानुसार सुविधायें जाये -

1. **भूमि के मूल्य में रियायत-** प्रचलित मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित 2022) अंतर्गत अविकसित भूमि आवंटन हेतु प्रावधानित छूट नियमानुसार प्रदान की जाये।

2. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति-** परियोजना हेतु आवंटित अविकसित भूमि के पट्टाविलेख निष्पादन एवं बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के लिखतों पर देय स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क, अधिकतम राशि रूपये 50 लाख की सीमा तक, की प्रतिपूर्ति की जाये।

3. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

4. **ब्याज अनुदान-** कंपनी द्वारा प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षो हेतु ब्याज अनुदान पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

5. **विद्युत टैरिफ की प्रतिपूर्ति-** इकाई अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

6. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

7. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 5 वर्षों में नियुक्त किये गये मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रूपये 13,000/- प्रति कर्मचारी के दर से प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की जाये।

8. **रोजगार सृजन अनुदान-** परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 8 वर्षों में नियुक्त किये गये समस्त कर्मचारियों हेतु रूपये 5,000/- प्रति कर्मचारी प्रतिमाह 5 वर्षों हेतु रोजगार सृजन अनुदान प्रदान किया जाये। उक्त सहायता की अधिकतम अवधि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष तक होगी अर्थात 8वें वर्ष में नियुक्त किये गये कर्मचारी को मात्र 2 वर्षों हेतु ही रोजगार सृजन अनुदान प्राप्त होगा।

9. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) अंतर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

निरंतर .....

10. परियोजना को स्वीकृत सुविधा का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

11. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-46/2021/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 31/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला इन्दौर ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, एन्डुराफेब प्रा.लि. द्वारा ग्राम चीराखान, तहसील देपालपुर, 77, Ashish Nagar, Knaadia Road जिला इंदौर - 452016

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग